(41)

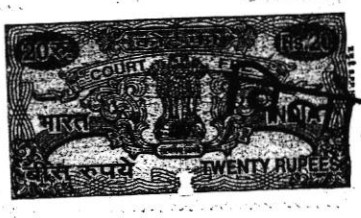

प्रतिलिपित

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म.प्र.)

प्र0क्र0 I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/2309 सन् 2018

1) आनन्द भान तनय श्री गनेश प्रसाद तिवारी

निवासीगण ग्राम कर्री तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.).....

निगरानीकर्ता

श्री एम०पी० भटनागर द्वारा आज दि. 9-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 18-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1) मातादीन तनय श्री कन्हैयालाल तिवारी
2) गणेश प्रसाद तनय श्री कन्हैयालाल तिवारी
3) बाबूलाल तनय श्री कन्हैयालाल तिवारी
4) काशीप्रसाद तनय श्री नारायणदास तिवारी
5) ओमप्रकाश तनय श्री नारायणदास तिवारी
6) बद्री प्रसाद तनय श्री नन्हेलाल तिवारी
7) फूलचन्द्र तनय श्री नन्हेलाल तिवारी
8) सुदामा तनय श्री गजाधर तिवारी
9) घनश्याम तनय श्री गजाधर तिवारी
10) उदयभान तनय श्री गनेश प्रसाद तिवारी

निवासीगण ग्राम कर्री तह. राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)... **उत्तरवादीगण**

Filed by M P Bhatnagar Advocate

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा.सं. 1959 निगरानी विरूद्ध राजस्व अपील क्र. 662/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 28.02.2018 मातादीन बनाम आनन्दभान आज्ञा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर जिला सागर म.प्र.

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करता है कि-

1) यह कि मौजा श्यामरीपुरवा स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103 कुल किता 07 एकत्र रकवा 11.623 हैक्टे. निगरानीकर्ता के स्वामित्व और आधिपत्य की आराजी है जिसमें हिस्सा 1/2 अर्थात रकवा 5.812 हैक्टे. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी। उत्तरवादी ने राजस्व कर्मचारियों से दुःरभि संधि कर निगरानीकर्ता की भूमि का बटवारा नामांतरण पंजी क्रमांक 12/93-94 के माध्यम से कर दिया जो विधि विधान के विपरीत था चूंकि उक्त भूमि में से हिस्सा 1/2 अर्थात 5.812 हैक्टे. रकवा निगरानीकर्ता का था जिसमें मात्र 2.822 हैक्टे. रकवा ही निगरानीकर्ता को प्रदान किया बटवारा हिस्सा मुताबिक होता है असमान्य नहीं, भूमि बिना विक्रय-पत्र के अन्य खातेदारों के नाम बटवारा के माध्यम से नहीं की जा सकती। बटवारा भूमि ट्रांसफर का साधन नहीं है यदि इस प्रकार भूमि दूसरों के

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/2309

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक का यहतर्क कि बंटवारा पर उसके फर्जी हस्ताक्षर हैं, तदसमय वह नाबालिग था, मान्य योग्य नहीं है, क्योंकि बंटवारा आदेश के उपरांत दिनांक 05.04.2004 को उसके द्वारा अनावेदक के पक्ष में एक इकरारनामा निष्पादित किया गया है, जिसमें उसके द्वारा आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा किया जाना मान्य किया गया है तथा अनावेदक की कार्यालय प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करीं द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र से आवेदक की जन्मतिथि 14.11.1976 अंकित होने से स्पष्ट होता है कि बंटवारा दिनांक को वह बालिग हो गया था। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है तथा उक्त वाद बिन्दुओं के आधार पर ही अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में प्रथम दृष्टया कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	